अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2023

का.आ. 3615(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. वल्लभभाई कथीरिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जेंड-28016/119/2023-पीएमएसएसवाई-IV] अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2023

S.O. 3615(E).— In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. Vallabhbhai Kathiria, Chairman, Rashtriya Kamdhenu Aayog, as the President of All India Institute of Medical Sciences, Rajkot.

[F. No. Z-28016/119/2023-PMSSY-IV] ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.